



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6115/2016

फिरन दास साहू, पिता स्व. श्री घसिया दास साहू, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी: एमडी-11, सेक्टर 02, डी.डी. नगर, रायपुर, थाना डी.डी. नगर, तहसील एवं जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

- 1- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, थाना एवं पोस्ट राखी, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
- 2- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, महानदी भवन के पास, नवा रायपुर, थाना एवं पोस्ट राखी, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
- 3- सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन), पुलिस मुख्यालय, महानदी भवन के पास, नवा रायपुर, थाना एवं पोस्ट राखी, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
- 4- पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, लालबाग, जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)
- 5- पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)

... उत्तरवादीगण

(वाद-शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अभिषेक पाण्डेय, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण-राज्य की ओर से : श्री अमित बख्शी, पैनल अधिवक्ता

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर आदेश

21.11.2024

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता एक परमादेश की मांग कर रहा है, जिसके द्वारा उत्तरवादीगण को यह निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के प्रकरण में, दंड आदेश दिनांक 28.06.2012 के अनुसरण में अधिरोपित लघु शास्ति की अवधि पूर्ण होने के पश्चात, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार करें।



2. उपरोक्त अनुतोष का दावा निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर किया गया है:

2.1 याचिकाकर्ता, जो वर्ष 2011 में थाना कोडेनार, जिला बस्तर में उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत था, उसके विरुद्ध इस आरोप में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी कि दायित्व प्रकरण क्रमांक 68/2011 के संबंध में बलराम सिंह नामक एक अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो गई थी;

2.2 नियमित विभागीय जांच प्रारंभ होने के पश्चात, पुलिस महानिरीक्षक (उत्तरवादी क्रमांक 04) द्वारा दिनांक 28.06.2012 को पारित आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता पर असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की लघु शास्ति अधिरोपित की गई थी, जो दिनांक 01.07.2013 से 30.06.2014 तक प्रभावी थी;

2.3 यद्यपि, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात, जब निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र उम्मीदवारों पर विचार किया गया, तो याचिकाकर्ता का यह प्रकरण है कि यद्यपि वह पदोन्नति हेतु पात्र था, फिर भी उसके प्रकरण को अवैध रूप से विचारण क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता अपने कनिष्ठों की पदोन्नति की तिथि, अर्थात् दिनांक 21.01.2016 से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है।

3. उत्तरवादीगण-राज्य ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है, जिसमें *अन्य बातों के साथ* यह कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही संपन्न होने के उपरांत, प्रकरण को पुनः नए सिरे से लिया गया था और याचिकाकर्ता पर अधिरोपित दंड को पर्याप्त पाते हुए, इसे आदेश दिनांक 28.07.2016 द्वारा यथावत बनाए रखा गया। अतः, पदोन्नति हेतु याचिकाकर्ता के नाम पर विचार न करना न्यायोचित है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक पाण्डेय ने तर्क दिया कि एक बार जब दंड की अवधि जो 01.07.2013 से प्रारंभ होकर 30.06.2014 को समाप्त हो गई, तो याचिकाकर्ता निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के विचारण हेतु पात्र हो गया और उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भारत संघ व एक अन्य विरुद्ध एस.सी. पराशर¹** के प्रकरण में पारित निर्णय के आलोक में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता दिनांक 21.01.2016 से सभी परिणामिक लाभों के साथ पदोन्नति का हकदार है। अतः, वर्तमान याचिका को पूर्णतः स्वीकार किया जाए।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विभागीय जांच के बाद पुनः नई अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 28.06.2012 द्वारा प्रदत्त दंड को ही आदेश दिनांक 28.07.2016 के माध्यम से यथावत रखा गया, इसलिए याचिकाकर्ता निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है। अतः, वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षकारण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और अभिलेखों का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

1 (2006) 3 SCC 167



7. स्वीकृत और निर्विवाद रूप से, विभागीय कार्यवाही संपन्न होने के उपरांत, याचिकाकर्ता पर असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की लघु शास्ति अधिरोपित की गई थी, जो दिनांक 01.07.2013 से 30.06.2014 तक की अवधि के लिए प्रवर्तनीय थी। तत्पश्चात, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र हो गया था, किंतु निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु उसके प्रकरण पर विचार नहीं किया गया।

8. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिव कुमार शर्मा विरुद्ध हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, चंडीगढ़ व अन्य² के प्रकरण की कण्डिका-06 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“6. हम उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। शास्ति दिनांक 15 अप्रैल, 1968 को अधिरोपित की गई थी, और जिसके परिणामस्वरूप, उसे केवल एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि के मौद्रिक लाभ से वंचित किया गया था। एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने के रूप में दी गई शास्ति भविष्य के किसी प्रभाव के बिना थी। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी की एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोक दी गई थी और ऐसी वेतन वृद्धि रोकने का उसकी वरिष्ठता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तदनुसार, बोर्ड ने अपीलार्थी के कनिष्ठों को वरिष्ठता सूची में उससे ऊपर रखकर और/या अपीलार्थी को 1 दिसंबर, 1969 से पद पर स्थायी करके अवैध और अत्यंत मनमाना कार्य किया है, जो कि उक्त उत्तरवादी क्रमांक 2 से 19 के स्थायीकरण की तिथि के काफी समय बाद है। वरिष्ठता के प्रश्न का अपीलार्थी पर अधिरोपित शास्ति से कोई संबंध नहीं है। यह स्पष्ट है कि कदाचार के उसी कृत्य के लिए, अपीलार्थी को दो बार दंडित किया गया है, अर्थात्, पहला, एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोककर, और दूसरा, वरिष्ठता सूची में उसे उसके कनिष्ठों से नीचे रखकर।”

9. इसके अतिरिक्त, एस.सी. पराशर (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने शिव कुमार शर्मा (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए तथा शास्ति के प्रभाव पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त प्रकरण का उत्तरवादी तीन वर्ष की अवधि के पश्चात पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का पात्र था और कण्डिका-13 से 15 में निम्नानुसार अवधारित किया:

“13. यद्यपि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अनुशासनिक प्राधिकारी का आशय कभी भी लघु शास्ति अधिरोपित करने का नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई रियायत स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण थी। अब यह सुस्थापित है कि न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता द्वारा दी गई



त्रुटिपूर्ण रियायत पक्षकारों को तब बाध्य नहीं कर सकती जब वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था देते हों। [देखें: भारत संघ व अन्य विरुद्ध मोहनलाल लिखुमल पंजाबी व अन्य-(2004) 3 एससीसी 628]। अतः, हमारे सुविचारित अभिमत में, उत्तरवादी पर अधिरोपित शास्ति को तीन वर्ष की अवधि के लिए संचयी प्रभाव के साथ समय-मान के न्यूनतम स्तर तक कम करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। ऐसी शास्ति के प्रभाव पर इस न्यायालय द्वारा शिव कुमार शर्मा विरुद्ध हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, चंडीगढ़ व अन्य [एआईआर 1988 एससी 1673] में निम्नलिखित शब्दों में विचार किया गया है:

6. हम उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। शास्ति दिनांक 15 अप्रैल, 1968 को अधिरोपित की गई थी, और जिसके परिणामस्वरूप, उसे केवल एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि के मौद्रिक लाभ से वंचित किया गया था। एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने के रूप में दी गई शास्ति भविष्य के किसी प्रभाव के बिना थी। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी की एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोकी गई थी और ऐसी वेतन वृद्धि रोकने का उसकी वरिष्ठता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तदनुसार, बोर्ड ने अपीलार्थी के कनिष्ठों को वरिष्ठता सूची में उससे ऊपर रखकर और/या अपीलार्थी को 1 दिसंबर, 1969 से पद पर स्थायी करके अवैध और अत्यंत मनमाना कार्य किया है, जो कि उक्त उत्तरवादी क्रमांक 2 से 19 के स्थायीकरण की तिथि के काफी समय बाद है। वरिष्ठता के प्रश्न का अपीलार्थी पर अधिरोपित शास्ति से कोई संबंध नहीं है। यह स्पष्ट है कि कदाचार के उसी कृत्य के लिए, अपीलार्थी को दो बार दंडित किया गया है, अर्थात्, पहला, एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोककर, और दूसरा, वरिष्ठता सूची में उसे उसके कनिष्ठों से नीचे रखकर।

14. उक्त निर्णय का सिद्धांत वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर भी लागू होता है।

15. प्रकरण के इस परिप्रेक्ष्य में, निर्विवाद रूप से उत्तरवादी तीन वर्ष की अवधि के उपरांत पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का हकदार था। यद्यपि, सूचित किया गया है कि तब से उन्हें कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है।”

10. एस.सी. पराशर (पूर्वोक्त) और शिव कुमार शर्मा (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने पर यह सुस्पष्ट होता है कि चूंकि एक वर्ष के दंड की अवधि दिनांक 30.06.2014 को पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए याचिकाकर्ता उसके तत्काल बाद पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का पात्र था। अन्यथा, लघु शास्ति अधिरोपित करने का प्रभाव यह होगा कि पहले तो उसे एक वार्षिक



वेतनवृद्धि रोकने का दंड भुगतना पड़ा और उसके बाद पदोन्नति पर विचार न करना तथा पदोन्नति न देना, एक ही कदाचार के लिए उसे दो बार दंडित करने के समान होगा, जो विधि में अनुज्ञेय नहीं है। इसके अतिरिक्त, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि पश्चातवर्ती अनुशासनिक कार्यवाही में भी याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 28.06.2012 द्वारा दिया गया दंड आदेश दिनांक 28.07.2016 के माध्यम से यथावत रखा गया था, अस्वीकार किए जाने योग्य है, क्योंकि एक ही कदाचार के लिए दूसरी जांच विधि में अनुज्ञेय नहीं है। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 21.01.2016 से, जिस तिथि को उसके ठीक कनिष्ठों पर विचार कर उन्हें पदोन्नत किया गया था, निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने का पात्र है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह निर्देशित किया जाता है कि उत्तरवादीगण/सक्षम प्राधिकारी, याचिकाकर्ता के प्रकरण में दिनांक 21.01.2016 से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार करेंगे और यदि वह अन्य पात्रता मानदंडों को पूर्ण करता है तथा उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे उक्त पद पर समस्त परिणामिक लाभों के साथ काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करें।

11. यह रिट याचिका उपरोक्त दर्शित सीमा तक स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय हेतु कोई आदेश नहीं।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।